उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1679–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 13–10(2)–पें0एवंआर0 / 01टीसी–1, दिनांक : 12 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3290–पीएण्डआर–28 / पाकालि / 2002 दिनांक 16.10.2002, जिसके द्वारा शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या–481 / 44–2–1998 दिनांक 13.07.98 को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत करते हुये कारपोरेशन के समूह ग', 'घ' की सेवाओं में कुल रिक्तियों का तीन प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा विकंलागजनों को प्रत्येक समूह में एक–एक प्रतिशत (तीन प्रतिशत) का हौरिजेन्टल आरक्षण, प्रदान किया गया था, के आंशिक संशोधन में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के परिपत्र संख्या : 18 / 1 / 95–का–2 / टी0सी0–1999, दिनांक 09 सितम्बर, 1999 तथा उसके साथ संलग्न उ0प्र0 सरकार, विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1485–सत्रह–वि–1–1–(क)–23 / 1999 दिनांक 28.07.1999 (प्रतिलिपि संलग्न) को आवश्यक संशोधनों सहित अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन की सेवाओं में समूह 'ग' एवं 'घ' के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों के तीन प्रतिशत के स्थान पर अब **5** प्रतिशत हौरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा। कारपोरेशन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के शेष प्राविधान एवम् शर्तें यथावत् रहेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

अध्यक्ष

संख्या : 1679(।)–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
4. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / पूर्वान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / मेरठ / आगरा / वाराणसी / केस्को, कानपुर / ट्रांन्सको, लखनऊ।
8. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) / अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

क्रमशः...2

12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।
14. समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(पी0सी0 गुप्ता) 12/7/13
अपर सचिव (तृतीय)

शासनादेश

संख्या : 18/1/95–का–2/टी0सी0–1999,

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 1999

कार्मिक अनुभाग–2

विषय : उ0प्र0 लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 28 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित उ0प्र0लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 की प्रति संलग्न करते हुए मुझें उक्त (संशोधन) अधिनियम की निम्नलिलिखत मुख्य–मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :–

1. इस संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह संशोधन अधिनियम 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार समूह "क" के पद या समूह "ख" के पद का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है।

3. इस अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (एक–क) के अनुसार समूह "क" के पदों या समूह "ख" के पदें से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का **5 प्रतिशत** भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।

3. आपसे यह अनुरोध करने का मुझें निदेश हुआ है कि संलग्न संशोधन अधिनियम, 1999 के समस्त प्राविधानों का सभी स्तरों पर उन सभी लोक सेवाओं व पदो के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिसका उल्लेख आरक्षण संशोधन अधिनियम में उल्लिखित है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें, ताकि इन प्राविधानों का संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव

उ0प्र0 शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1999

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या : 1485/सत्रह–वि–1–1–(क)–23–1999
लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 1999
अधिसूचना/विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)(संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 27 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 1999
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रसर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–संक्षिप्तं नाम और प्रारम्भ–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 महा जायेगा।

(2) यह 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ–1) 'समूह क के पद' या 'समूह ख के पद' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

3–धारा–3 का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए;

(एक–क) समूह 'क' के पदों या समूह 'ख' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में 21 मई, 1999 की ओर से रिक्तियों का दो प्रतिशत, और ऐसे दिनांक को और से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतत्रंता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम; 1999 गजट में प्रकाशित किया जाय रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए;

4–धारा 5 का संशोधन– मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित अस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

(1–क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1999 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण–उपधारा (1) और (1–क) के प्रयोजनों के लिए वहीं चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती :–

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1999

5–**निरसन और अपवाद**–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संधोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी, प्रमुख सचिव।